उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या-3570/नौ-7-15-21(मेरठ)/2015
लखनऊ : दिनांक : 10 नवम्बर, 2015

: अधिसूचना :

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

2. अतएव अब उ0प्र0 अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30, सन 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिये समस्त नगर निगमों एवं जल संस्थानों की समस्त सेवाओं, जिनमें सफाई व्यवस्था से संबंधित सेवायें भी सम्मिलित हैं, में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3570(2)/नौ-7-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को प्रमुख समाचार पत्रों/आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेशों के अनुपालनार्थ समस्त नगर निगम और जल संस्थान, उ0प्र0 को अपने स्तर से सूचित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, झाँसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद तथा अलीगढ़।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान, उ0प्र0।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।

P.T.O.

संख्या-3570(3)/नौ-7-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि - अंग्रेजी की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, प्रभारी, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना जारी होने की तिथि से असाधारण राजकीय गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-6 में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।